

भारत में कृषित्रहण माफी

प्रलिमिस के लिये:

कृषित्रहण माफी, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), नविंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नाबारड, भारतीय रजिस्ट्र बैंक, मुद्रासंस्कारिता, नयूनतम समरथन मूलय, कसिन करेडिट कारड योजना।

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, विकास और प्रगति, कृषित्रहण माफी और संबंधित मुद्दे।

स्रोत: द हॉट्स

चर्चा में क्यों?

कृषित्रहण माफी भारतीय चुनावों के दौरान, विशेषकर कृषिप्रधान राज्यों में, एक प्रमुख राजनैतिक मुद्दा बन गया है।

- ये त्रहण राहत योजनाएँ, यद्यपि अस्थायी राहत प्रदान करती हैं, परन्तु **कृषिसंकट** के मूल कारणों का समाधान करने में वफिल रहती हैं।

कृषित्रहण माफी क्या है?

- परचियः** कृषित्रहण माफी सरकार द्वारा लागू की गई वित्तीय राहत योजना है, जिसके तहत कुछ हद तक कृषित्रहणों को माफ कर दिया जाता है, जिससे कसिनों को पुनर्भुगतान के बोझ से राहत मिलती है तथा उनको आरक्षिक संकट कम होता है।
 - इन छूटों की घोषणा अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान कृषक समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के बाद के रूप में की जाती है।
 - कृषित्रहण माफी में सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बजटीय आवंटन उपलब्ध कराकर कसिनों के बकाया त्रहण को वहन करना शामिल है।
 - कसिनों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें विवादित भूमिजोत, कम होता भूजल, मृदा की खराब गुणवत्ता, बढ़ती लागत और नमिन फसल उत्पादकता शामिल हैं।
 - अपनी उपज के लिये सुनश्चिति पारशिर्मकि अभाव के कारण कसिन अक्सर बैंकों या नजिकी त्रहणदाताओं से उच्च ब्याज दरों पर धन उधार लेते हैं।
 - त्रहण माफी से कर्ज में ढूबे कसिनों को अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन यह कृषिसंकट का दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
- छूट का कार्यान्वयनः**
 - प्राकृतिक आपदाओं के समय, सरकार दंडात्मक ब्याज माफ कर सकती है, त्रहणों का पुनर्निर्धारण कर सकती है या बकाया त्रहणों को पूरी तरह से माफ कर सकती है।
 - सरकार का बजट वित्तीय दायतिवों का वहन करता है, बैंकों का नहीं।
 - ये माफी त्रहण के प्रकार (अल्पकालिक, मध्यमकालिक, दीर्घकालिक), कसिनों की शरणी या त्रहण स्रोत जैसे कारकों के आधार पर चयनात्मक हो सकती है।

कृषित्रहणः अनुसूचित बैंक व्यक्तिगत कसिनों या कृषक समूहों को कृषिया संबद्ध गतिविधियों जैसेडेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुरगीपालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन के लिये कृषित्रहण प्रदान करते हैं।

- अल्पावधि (18 महीने तक) त्रहण दो मौसमों- खरीफ और रबी, के दौरान फसल उगाने के लिये दिये जाते हैं, जबकि मध्यम अवधि (18 महीने से अधिक से 5 वर्ष तक) तथा दीर्घावधि (5 वर्ष से अधिक) त्रहण कृषिमशीनरी खरीदने, सचिर एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों हेतु दिये जाते हैं।
- इसके अंतर्गत फसल-पूर्व और फसल-पश्चात की गतिविधियों जैसे नरिई, कटाई, छाँटाई तथा कृषिउपज के प्रविहन के लिये भी त्रहण उपलब्ध हैं।
- अधिकांश त्रहणों को कश्तियों में अदा करने अवधिपाँच वर्ष तक होती है तथा ब्याज दरों त्रहण की प्रकृति और जारीकरता बैंक के आधार पर अलग-अलग होती है।

कृषि ऋण माफी के ऐतिहासिक उदाहरण:

- पहली अखिल भारतीय कृषि ऋण माफी वर्ष 1990-91 में, कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना (Agricultural and Rural Debt Relief Scheme- ARDRS) के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसके तहत कसिनों को चुनिदा ऋणों पर 10,000 रुपए तक की राहत प्रदान की गई थी।
- दूसरी बड़ी माफी वर्ष 2008 में घोषित कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (ADWDRS) द्वारा दी गई थी।
 - सरकार ने कसिनों को राहत देने के लिये 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किये। 2 हेक्टेयर से कम भूमिवाले छोटे कसिनों की पूरी निधारति राशि माफ कर दी गई।
 - 2 हेक्टेयर से अधिक भूमिवाले अन्य कसिनों को छूट के रूप में निधारति राशि का 25% एकमुश्त निपटान (One Time Settlement- OTS) देने की पेशकश की गई, बशरते वे शेष 75% का भुगतान कर दें।
- भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India- SBI)** के एक अध्ययन के अनुसार, 2014 से अब तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने 2.52 लाख करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा की है।

Status of Various Farm Loan Waivers				
	Year of Loan Waiver	Amount of Loan Waiver (Rs crore)	Eligible Farmers (in lakh)	% of Farmers Loan Waiver Received (till Mar'22)
Uttar Pradesh	2017	36,000	39	52%
Maharashtra	2017	34,000	67	68%
	2020	45,000	44	91%
Andhra Pradesh	2014	24,000	42	92%
Karnataka	2018	44,000	50	38%
Punjab	2018	10,000	8	24%
Madhya Pradesh	2018	36,500	48	12%
Chhattisgarh	2018	6,100	9	100%
Telangana	2014	17,000	51	5%
Jharkhand	2020	-	9	13%
Total (10 instances)	-	2,52,600	368	51%

Source: SBI Research

Farm loan waivers between 2014 and 2022

//

कृषि ऋण माफी से कसिनों और सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- कसिनों पर प्रभाव:**
 - विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने के कारण कर्ज से जूझ रहे कसिनों को ऋण माफी अल्पकालिक राहत प्रदान करती है।
 - आलोचकों का तर्क है कि ऋण माफी से गैर-भुगतान की प्रवत्तता को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भविष्य में ऋण माफी की आशा की जा सकती है, जिससे कृषक समुदाय के बीच ऋण अनुशासन कमज़ोर हो सकता है।
 - ऋण माफी के बाद की अवधि में अक्सर ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि बैंक ऋण देने में संकोच करने लगते हैं, जिससे कसिनों की अगले फसल चक्र में निवेश करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG)** की एक रपोर्ट में पाया गया कविष्ठ 2008 की योजना से कई अपात्र कसिनों को लाभ मिला, जबकि कई पात्र छोटे और सीमांत कसिन इससे वंचित रह गए।
- कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** वर्ष 2022 में SBI द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि विष्ठ 2014 से राज्य सरकारों द्वारा घोषित 9 कृषि ऋण माफी के लाभार्थियों में से केवल आधे की ही वास्तव में ऋण माफी हुई है।

- महाराष्ट्र में कार्यान्वयन दर अपेक्षाकृत अधिकी थी। इसके विपरीत, तेलंगाना में कार्यान्वयन सर्वाधिक प्रभावित हुआ।
- सरकारों पर प्रभाव:
 - नकारात्मक प्रभाव:
 - सबसे तात्कालिक प्रभाव **सरकारी बतित** पर पड़ने वाला दबाव है। ऋण माफ करने का तात्पर्य है राजस्व की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कोष में शामलि न करना, जिसका उपयोग अन्य सामाजिक कार्यक्रमों या बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये किया जा सकता था।
 - **नाबारड** की रपिरट के अनुसार, वर्ष 1990 की ARDR योजना के कारण केंद्र सरकार को 7825 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राज्यों को कर्जमाफी की भरपाई के लिये RBI से अतिरिक्त ऋण लेने के लिये मजबूर होना पड़ा।
 - बड़े पैमाने पर ऋण माफी से सरकारी ऋण में बढ़ोतारी हो सकती है, जिससे ब्याज दरें और **मुद्रासंकेती** बढ़ सकती हैं तथा आर्थिक स्थिरता कमज़ोर हो सकती है।
 - इसके अतिरिक्त, ऋण माफी अक्सर न्यूनतम फसल कीमतों और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख कृषि मुद्दों से निपटने में वफ़ाल रहती है तथा केवल अल्पकालिक राहत ही प्रदान करती है।
 - सकारात्मक प्रभाव:
 - कृषि ऋण माफी से ऋण अदायगी से प्राप्त धन को अन्य क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। इससे कसिनों को उत्पादकता बढ़ाने के लिये बेहतर इनपुट क्रय करके कृषि में पुनः निवेश करने और अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिये कुक्कुट पालन, डेयरी या बागवानी जैसी अन्य कृषिगत विधियों में विविधता लाने का अवसर मिलता है।
 - ऋणमाफी लागू करने वाली सरकारें बड़ी कृषक जनसंख्या के बीच राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वर्ष 1987 से वर्ष 2020 तक नाबारड के एक अध्ययन में पाया गया कि 21 राज्य सरकारों ने राज्य चुनावों से पूर्व ऋणमाफी की घोषणा की, जिनमें केवल चार राज्यों में ही सरकारों हार हुई।

कृषि ऋण माफी के विकल्प:

- कृषि के लिये सार्वजनिक निवेश में वृद्धि: कुल वयय या **सकल घरेलू उत्पाद** के अनुपात के रूप में कृषिविकास हेतु बजटीय संसाधनों का अधिक हसिसा आवंटित करना, जो प्रत्येक वर्ष कम हो रहा है। सचिरी, विद्युत, भंडारण और परविहन पर ध्यान केंद्रित करना। इन इनपुट के लिये आपूर्ति शृंखला और वितरण को मजबूत करना।
- बीज, उत्पादक और कीटनाशकों जैसे गुणवत्ता पूरण, कफियती कृषि इनपुट तक सरल पहुँच सुनिश्चित करना। इन इनपुट के लिये आपूर्ति शृंखला और वितरण को मजबूत करना।
- **सुखा प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली फसल कसिनों** को विकसित करने, कृषितिकनीकों में सुधार लाने तथा स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिये कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाना।
- आधुनिक कृषि पद्धतियों, नई प्रौद्योगिकियों एवं अनुसंधान निषिकरणों को कसिनों तक पहुँचाने के लिये कृषिविस्तार सेवाओं को, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, मजबूत और वसितारति करना।
- फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करना: सरकार के **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices- MSP)** और खरीद आश्वासन के कारण कसिन मुख्य रूप से गेहूँ व धान जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
 - तलिहन, दलहन, फल एवं सब्जियों को शामलि करने के लिये मूल्य समर्थन और खरीद का वसितार करने से **फसल विविधिकरण** को प्रोत्साहन मिलिए।
 - सहायक नीतियों को लागू करने और स्थानीय परास्थितियों के अनुकूल जल-दक्ष फसलों को बढ़ावा देने से स्थिरित बढ़ेगी।
 - उदाहरण के लिये: पंजाब में यूरायिक अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल भंडार में अत्यधिक कमी आई है और मृदा का क्षरण हो रहा है। राज्य के कसिन मुख्य रूप से गेहूँ व धान उगाते हैं, क्योंकि सरकारी खरीद के कारण ये ही एकमात्र वयवहार्य फसलें हैं।
- प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएँ: ऋण माफी के विकल्प के रूप में **PM-KISAN** और **कसिन क्रेडिट कारड योजना** जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं को लागू करना, **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfers- DBT)** एवं आधार-आधारति पहचान के माध्यम द्वारा कुशल निधि संवितरण सुनिश्चित करना।
- बाजार सुधार और पहुँच: **कृषि उपज विपणन समतियों (Agricultural Produce Marketing Committees- APMC)** के कामकाज में सुधार से मध्यस्थी द्वारा किया जाने वाला शोषण कम हो सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कसिनों को उपभोक्ता के धन का उचित भाग मिले।
 - **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) पलेटफॉर्म** को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने से ऑनलाइन व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सकता है और कसिनों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सकता है, जिससे अनावश्यक मध्यस्थी के हस्तक्षेप समाप्त किया जा सकता है।
- कसिन उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations- FPO): सहकारी समतियां गठित करने वाले कसिन बीज, उत्पादक और उपकरण थोक में खरीदकर लागत में कमी कर सकते हैं तथा बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
 - वे उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये अपने उत्पादों के विपणन और बक्की में भी सहयोग कर सकते हैं।
- जोखमि न्यूनीकरण रणनीतियाँ: कफियती और सुलभ फसल बीमा योजनाओं की प्रस्तुतिकसिनों को प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली वित्तीय हानि से बचा सकती है।
 - मौसम मापदंडों पर आधारित फसल बीमा अप्रत्याशित मौसम प्रतरीप से होने वाले जोखमि को कम करने में सहायता करता है।

प्रश्न-प्रतिक्रिया:

प्रश्न. दीर्घकालिक कृषि संकट को दूर करने में कृषि ऋण माफी की प्रभावकारता का आकलन कीजिये।

प्रश्न. सरकारों के वित्तीय स्वास्थ्य और समग्र अर्थव्यवस्था पर बार-बार दी जाने वाली कृषि ऋण माफी के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. 'कसिन क्रेडिट कार्ड' योजना के अन्तर्गत, नमिनलखिति में से कनि-कनि उद्देश्यों के लाए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है ? (2020)

1. फार्म परसिंपत्ताओं के ख-खाव हेतु कार्यशील पूँजी के लायि
2. कम्बाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मन्नी ट्रकों के क्रय के लायि
3. पर्म परकिरों की उपमोग
4. फसल कटाई के बाद के खर्चों के लायि
5. परवार के लायि घर नरिमाण तथा गाँव में शीतागार सुवधि की स्थापना के लायि

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनियि :

- (a) केवल 1,2 और 5
(b) केवल 1,3 और 4
(c) केवल 2,3, 4 और 5
(d) 1,2,3,4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय कृषकी प्रकृतिकी अनश्चित्तिताओं पर निभरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विविचना कीजयि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य वशेषताओं का उल्लेख कीजयि । (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/farm-loan-waivers-in-india>